Impact Factor (SJIF): 6.092 E-ISSN: 2583-1615

International Journal of Research in Academic World

Received: 28/June/2023 IJRAW: 2023; 2(7):143-147 Accepted: 25/July/2023

महिला मानवाधिकार की अवधारणा और 21वीं सदी का भारत: एक अध्ययन

[*1]डॉ. शिव हर्ष सिंह और [2]कल्पना यादव

[*1]एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, ईश्वर शरण पी. जी. कॉलेज, प्रयागराज, उतार प्रदेश, भारत।

[2]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, ईश्वर शरण पी. जी. कॉलेज, प्रयागराज, उतार प्रदेश, भारत।

सारांश

मानवाधिकार, मानव प्रजाति में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य का मूलभूत अधिकार है। इसे किसी व्यक्ति या राष्ट्र द्वारा दिया नहीं जाता और ना ही छीना जा सकता है। यह सार्वभौम है। जैसे-जैसे विकास पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, लोगों में मानवाधिकारों के प्रति चेतना आयी है। लोग अपनी सरकारों से इसे सुनिश्चित करने व इस पर कानून बनाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। यह अधिकार उस वर्ग के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जो सदियों से शोषित व वंचित रहा है जिसमें महिलाएं भी शामिल है। यह पूरे विश्व में हुआ है जिसमें भारत भी शामिल है। लेकिन समय के साथ हो रहे विकास ने अब महिलाओं को सचेत व जागरुक बना दिया है। अब महिलाएं अपने अधिकारों की रक्षा व गरिमा को लेकर सजग हुई हैं। इस पत्र में हम महिला अधिकारों व कानूनों (राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय दोनों) की चर्चा करेंगे तथा उसके समक्ष आ रही चुनौतियों को जानेंगे।

मुख्य शब्द: मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र, सार्वभौमिक घोषणा पत्र, जेंडर बजटिंग, मीटू

प्रस्तावना

इस शोध पत्र में ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, सैद्धान्तिक व अनुभव मूलक पद्धतियों को प्रयोग किया गया है। सैद्धान्तिक पक्षों के लिए विश्लेषणात्मक दृष्टि से विभिन्न प्रतिवेदनों, अध्ययन, पुस्तकों से प्राप्त जानकारी व उपलब्ध तथ्यों का विश्लेषण किया गया है।

शोध पत्र में सरकारी, अर्द्धसरकारी दस्तावेजों, अनुसंधान, राष्ट्रीय संस्थानों, अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशन पत्र पत्रिकाओं का उपयोग किया गया है। साथ ही विभिन्न वेसाइटस्, डिजिटल लाईब्रेरी इत्यादि का उपयोग इण्टरनेट के माध्यम से किया गया है।

महिला मानवाधिकार की अवधारणा और 21वीं सदी का भारतः एक अध्ययन

"लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना, उनकी मानवता को चुनौती देना है।"-नेल्सन मंडेला

मानवाधिकार, वे अधिकार हैं जिसमें मानव अस्तित्व के सभी पक्षों को शामिल किया जाता है। यह एक जन्मजात अधिकार है। जो मानव के रूप में जन्म लेते ही मिल जाता है। यह मनुष्य की गरिमा से जुड़ा है। यही इसका सार है। आर0पी0 जोशी के अनुसार मानवाधिकार उन आधारभूत सब परिस्थितियों की उपलब्धि है। जिसमें व्यक्ति अपनी सब अन्तर्निहित योग्यताओं का विकास कर सकता है। जो उसे प्रकृति ने प्रदान की है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी मौलिक मानवाधिकार को मानव की गरिमा एवं मूल्य तथा सभी छोटे-बड़े राष्ट्रों एवं महिला पुरुषों के समान अधिकार में विश्वास व्यक्ति किया है।[3] संक्षेप में, मानवाधिकार सारभौमिक, अविभाज्य और परस्पर निर्भर होते हैं।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा

10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र जनरल एसेम्बली ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी कर मूलभूत अधिकारों को रेखांकित किया। 10 दिसम्बर को वर्ष 1950 से मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।

मानवाधिकार घोषणा पत्र जो प्रत्येक मानव की साम्य गरिमा और अधिकारों की बात करता है। यह घोषित करता है कि प्रत्येक को मानव अधिकार और मूलभूत स्वतंत्रतायें, बिना किसी भेदभाव के, जैसे-प्रजाति, त्वचा का रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनैतिक या अन्य मत, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, सम्पत्ति, जन्म या अन्य दर्जा, उपभोग कर सकते हैं।

महिला मानवाधिकार की अवधारणा

महिला मानवाधिकार, मानवाधिकारों की रक्षण में लैंगिक समानता और सुरक्षा पर बल देता है। इसे मानवाधिकार में ही जोड़कर देखा जाना चाहिए। सर्वप्रथम महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने व लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1945 में अन्तर्राष्ट्रीय शांति संगठन की स्थापना की गई। यह महिला अधिकारों व समानता के लिए यू0 एन0 चार्टर पहला अन्तर्राष्ट्रीय पहल था। यहीं से महिला मानवाधिकार की

***Corresponding Author:** डॉ. शिव हर्ष सिंह

अवधारणा का जन्म होता है। अरुण चतुर्वेदी के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र आरंभ से ही महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। चार्टर के अनुच्छेद-1, 08, 13 (प), (इ), (ए), 55 (ब), 62 (2) और दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रपत्र इसी दिशा में प्रयत्नशील हैं। [4]

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिला अधिकारों से सम्बन्धित प्रावधान

1. अभिसमय तथा घोषणाएं

- **महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर अभिसमय (1952):** महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर अभिसमय की पुष्टि 20 दिसम्बर 1952 को की गई। जिसे 07 जुलाई 1954 में लागू किया गया। इसके अन्तर्गत महिलाओं को पुरुषों के समान चुनाव में वोट देने, चुनाव लड़ने तथा सरकारी दफ्तरों में भागीदारी का अधिकार देता है। भारत इस पर 29 अप्रैल 1953 को हस्ताक्षर किया, जिसकी पुष्टि 01 नवम्बर 1961 को की गई। [5]
- **विवाहित महिलाओं की राष्ट्रीयता से सम्बन्धित अभिसमय (1957):** इस अभिसमय के तहत विवाह के पश्चात पत्नी को अपनी मूलदेश की नागरिकता बनाए रखने का अधिकार होगा। इस पर हस्ताक्षर 26 जनवरी, 1957 को किया गया तथा इसकी पुष्टि 11 अगस्त, 1958 को हुई। भारत ने 15 मई, 1957 को इस पर हस्ताक्षर किये।
  - विवाह की सहमति, विवाह की न्यूनतम आयु व विवाह पंजीकरण पर अभिसमय (1962)
  - महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभावों की समाप्ति की घोषणा (1967)
  - युद्ध एवं सैन्य आपदा के समय महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा से सम्बन्धित उद्घोषणा (1974)
  - आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की घोषणा (1966)
  - नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारों की घोषणा (1966)
  - महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने सम्बन्धी अभिसमय (1979)

2. महिला मानवाधिकारों के सन्दर्भ में विश्व सम्मेलन

- प्रथम विश्व महिला सम्मेलन-1975 (मैक्सिको)
- द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन-1980 (कोपेनहेगन)
- तृतीय विश्व महिला सम्मेलन-1985 (नैरोबी)
- चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन-1995 (बीजिंग)

3. संस्थागत तंत्र

- यूनीसेफ
- यूनाइटेड नेशन एजेंसी ऑफ पॉपुलेशन फण्ड
- महिलाओं की प्रस्थिति सम्बन्धी आयोग
- महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन समिति
- महिलाओं के निमित्त संयुक्त राष्ट्र विकास निधि
- महिलाओं का विकास विभाग

भारत में मानवाधिकार

भारत मानवाधिकारों के लिए प्राचीन काल से ही सचेत रहा है। सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने मानव मात्र के कल्याण पर बल दिया। उन्होंने स्त्री-पुरुष समानता, जातिभेद का खात्मा, पशु-पक्षी व प्रकृति कल्याण की बात की। बुद्ध के दर्शन को सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने धरातल पर उतारा। सम्राट अशोक विश्व के पहले शासक थे जिन्होंने मानव कल्याण के लिए युद्ध की जगह शांति स्थापना की बात की। उन्होंने मनुष्यों के साथ पशु-पक्षी व प्रकृति के अधिकारों की भी बात की। इसके साक्ष्य उनके शिलालेखों में देखे जा सकते हैं।

आधुनिक भारत में मानवाधिकार भारतीय लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। संविधान सभा के सदस्यों ने आजादी के आंदोलनों से औपनिवेशिक अत्याचारों को देखा था। इसलिए भारत का संविधान लिखते समय उन्होंने मानवाधिकार को सर्वोपरि मानकर कार्य किया गया। भारतीय संविधान की नींव पड़ने से बहुत पहले से ही भारतीय नेताओं ने मानवाधिकार पर बात करना शुरू कर दिया था। 1928 में तैयार की गई मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों, धार्मिक और प्रजाति, अल्पसख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने पर बल दिया। इसके पश्चात् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन (1931) में नागरिकों के मैलिक अधिकारों एवं आर्थिक, सामाजिक अधिकारों के संरक्षण हेतु कई प्रस्ताव पारित किये गए। भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक मानवाधिकार इग्लैंड के "बिल ऑफ राइट्स" (1689), अमेरिका के "बिल ऑफ राइट्स" (1791) और फ्रांस के "राइट्स ऑफ मैन" (1789) से प्रेरित है। मानवाधिकारों के महत्व को इससे भी समझा जा सकता है कि संविधान सभा ने इसके लिए सरदार बल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति बनाई थी। [6] भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को भाग-03 (अनुच्छेद-12-35) के अन्तर्गत रखा है। जो इस प्रकार हैं-

- अनुच्छेद 14-भारत के प्रत्येक नागरिक (महिला व पुरुष) को विधि के समक्ष समान संरक्षण प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 15 (3)-महिलाओं व बच्चों के पक्ष में राज्य को विशेष 'सकारात्मक' कदम उठाने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 16-प्रत्येक नागरिक को लोकनियोजन के विषय में अवसर की समानता प्राप्त है।
- अनुच्छेद 21-विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के अतिक्रमण से संरक्षण प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 23-मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध करता है तथा शोषण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 32-न्यायिक संरक्षण का लाभ प्रदान करता है।

भारत के संविधान के भाग-04 में राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व उल्लिखित किये गये हैं। जो मानवाधिकारों के लिए भी आवश्यक हैः

- अनुच्छेद 39-जीविकोपार्जन के समान अधिकार तथा समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 42-काम की न्यायसंगत और मानवेचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबन्ध है।
- अनुच्छेद 43-न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान।
- अनुच्छेद 44-समान नागरिक संहिता।
- संविधान के 42वें संशोधन के जरिये भाग-04 में नागरिक कर्तव्य के क्रम में 'महिला की गरिमा' का सम्मान करना जोड़ा गया। (अनुच्छेद-51 (क) (ड़))
- इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 325 व अनुच्छेद 326 में सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार है।
- 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को स्थानीय निकायों में 33.3 प्रतिशत आरक्षण दिया गया जिसे बढ़ा कर अब 50 प्रतिशत तक कर दिया गया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

भारत में मानवाधिकारों के रक्षण, जाँच व परामर्श के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 के प्रावधानों के तहत एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में हुआ है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1991 में बनाए गए पेरिस सिद्धान्तों की शर्तों को भी पूरा करता है। इसका मुख्य कार्य भारतीय संविधान में दिए गए मानवाधिकारों जैसे-जीवन, स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों की

रक्षा करना है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्यों में भी राज्य मानवाधिकार आयोग बनाये गये हैं।

एन0एच0आर0सी0 के कार्य और शक्तियाँ

- मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच करता है।
- मानवाधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित सभी न्यायिक मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार है।
- जेलों में बंद कैदियों के अधिकारों का रक्षण करना।
- मानवाधिकार सम्बन्धित कानूनों की समीक्षा करना व बेहतर बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।
- मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध कार्य करना।
- आमजन को मानवाधिकारों के प्रति जागरुक करने के लिए जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करना, मीडिया-सेमिनार इत्यादि माध्यमों का प्रयोग करना।
- आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है।

भारत में महिला मानवाधिकार

आधुनिक भारत में महिला मानवाधिकारों की चर्चा 18वीं शताब्दी से ही होने लगी थी। अंग्रेजी हूकूमत भारत के कुप्रथाओं पर आघात करने लगे। साथ ही वे भारतीय जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने लगे थे। सर्वप्रथम 1798 में लार्ड वेलेजली द्वारा शिशु हत्या/भ्रूण हत्या को अपराध घोषित कर दिया। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में बहुत से अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय जिसमें राजा राममोहन राय, ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, बेगम फातिमा शेख, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशवचंद्र सेन इत्यादि समाज सुधारकों ने स्त्रियों के अधिकारों व शिक्षा पर बल दिया। नतीजन ब्रिटिश सरकार द्वार सती प्रथा निषेध अधिनियम (1829), भारतीय दण्ड संहिता (1860), साक्ष्य अधिनियम (1872), बाल विवाह निषेध अधिनियम (1929), इत्यादि। इसके अलावा भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले, ज्योतिराव फूले व फातिमा शेख ने लड़कियों (विशेष रूप से निम्नवर्ग के लिए) स्कूल खोलें। इसी कड़ी में ईश्वरचंद्र विद्यासागर का भी नाम आता है जिनके अथक प्रयासों से कई बालिका स्कूल खोले गए। [7] इनके अतिरिक्त अनेक समाज सुधारकों ने महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य किये। जिसमें साहूजी महाराज, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गाँधी, ताराबाई शिंदे, डी0के0 कर्वे इत्यादि हैं।

इन सभी के प्रयासों के बावजूद प्रतिदिन महिलाओं के प्रति भेद-भाव व शोषण हो रहा है जो निम्न प्रकार के हैं-

- घरेलू हिंसा
- बाल विवाह
- बलात्कार और यौन उत्पीड़न
- बाल यौन दुर्व्यवहार
- वैवाहिक विवाद, हिरासत और तलाक
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न
- गर्भभ्रम का जन्म, पूर्व लिंग चयन और उन्मूलन
- महिलाओं की सम्पत्ति और विरासत अधिकार
- किशोरावस्था में बच्चे के प्रजनन और यौन स्वास्थ्य अधिकार
- महिलाओं के खिलाफ 'सम्मान' आधारित अपराध/सम्मान हत्या
- महिलाओं और श्रम अधिकारों के लिए समान रोजगार के अवसर
- एच0आई0वी0, दलित, आदिवासी महिलाओं के अधिकार का हनन, इत्यादि।

महिलाओं के कल्याण व अधिकारो की रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा कई ठोस कदम उठाये गए। जो अपने क्षेत्र में कार्यरत है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश में महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास से सम्बन्धित विनियमों और कानूनों को बनाने और इनके प्रशासन का भारत सरकार का सर्वोच्च निकाय है। इसकी स्थापना एक विभाग के रूप में 1985 में हुई। जिससे 2006 में पृथक मंत्रालय के रूप में लाया गया। उसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को सरकारी लाभ पहुँचाना, महिला-पुरुष समानता को बढावा देना इत्यादि है। [2]

महिला व बाल विकास मंत्रालय के अन्तर्गत संगठन

राष्ट्रीय महिला आयोग-

राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन महिलाओं के अधिकारों और हितों का रक्षण और प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम-1990 के अनुसरण में एक सांविधिक निकाय के रूप में 31 जनवरी, 1992 को हुआ।

आयोग के कार्य

- संविधान और अन्य कानूनों के तहत महिलाओं को प्रदत्त विधिक सुरक्षा उपायों का अन्वेषण एवं जाँच करना व कार्यान्वयन के लिए सरकार को उपयुक्त सुझाव देना।
- महिलाओं के विरुद्ध हुए अत्याचार की लिखित रूप में या ऑनलाइन मोड यानी www.ncw.nic.in के माध्यम से शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। आयोग इसकी जांच कर कार्यवाही करेगा। वर्ष 2021-22 के दौरान आयोग के सी एण्ड आई प्रकोष्ठ ने 23841 मामले दर्ज किये। इसके साथ ही 24x7 एस सी डब्ल्यू महिला हेल्पलाइन 7827170170 नम्बर शुरू किया गया है।
- महिला जनसुनवाई
- अनिवासी भारतीयों (महिला) की शिकायतों का निवारण।
- 16 नवम्बर 2021 को "शी इच चेंजमेकर" प्रोग्राम शुरू किया गया। जिसका उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागेदारी को सुनिश्चित करना है।

सरकारी कार्यक्रम व योजनाएँ

- **शी-बॉक्स (She Box):** कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतें दर्ज कराने के लिए यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (शी-बॉक्स) (http://www.shebox.nic.in) नामक एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली विकसित की है।
- **संबल:** महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा के लिए
  - i). **वन स्टॉप सेंटर (ओ.एस.पी.):** एक स्थान पर कानूनी परामर्श और सहायता, मनो-सामाजिक परामर्श और सहायता, महिलाओं के लिए उपलब्ध सहायता और सुविधाओं के बारे में जानकारी जैसी एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए।
  - ii). **महिला हेल्प लाइन (181):** टोल फ्री टेलीफोनिक शार्ट कोड 181 पर आपातकालीन व गैर आपालकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली।
  - iii). बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
  - iv). नारी अदालत

- **सामर्थ्य-महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए-**
  - i). **शक्ति सदन:** दुर्व्यापार की शिकार और निराश्रित महिलाओं के लिए एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह।
  - ii). **सखी निवास:** शहरों में नौकरी की संभावना वाले क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के ठहरने के लिए।
  - iii). प्रधानमंत्री मातृ बंदना योजना

- **निर्भया कोष**-देश में महिलाओं के लिए संरक्षा और सुरक्षा को बढावा देने वाली पहलों के कार्यान्वयन के लिए। वर्ष 2021-22 तक निर्भया कोष को 6212.85 करोड की राशि उपलब्ध कराई गई।

जेंडर बजटिंग या महिलोन्मुखी बजट

जेंडर बजटिंग से तात्पर्य ऐसे बजट से है, जिसके माध्यम से समाज में स्त्री-पुरुष पैटर्नों को समझ कर ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु धनराशि आवंटित की जाती है जिनसे इन पैटर्नों में परिवर्तन लाकर समाज में स्त्री-पुरुष समानता स्थापित की जा सके। [12]

महिलाओं के रक्षण व अधिकारों के लिए कानून

- विधि व्यवसायी (महिला) अधिनियम, 1994
- कारखाना अधिनियम, 1948-इस अधिनियम के तहत केवल दिन में ही महिलाएं कार्यस्थल पर कार्य कर सकती हैं। साथ ही उनकी सुरक्षा व स्वास्थ का भी विशेष ध्यान रखना होगा।
- महिलाओं की तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1956
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961
- मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
- सती प्रथा (रोकथाम) अधिनियम, 1987
- गर्भाधान-पूर्व एवं प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994
- घरेलू हिंसा में महिला का संरक्षण अधिनियम, 2005
- **विशाखा दिशा-निर्देश**-1997 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशाखा दिशा-निर्देश प्रस्तुत किया गया। कोर्ट के अनुसार, "लैंगिक समानता में यौन उत्पीड़न से सुरक्षा और गरिमा के साथ काम का अधिकार शामिल है, जो एक सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त बुनियादी मानवाधिकार है।" [14]
- **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013**-महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने और स्थिति व अवसरों की समानता को महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने वाला माहौल निर्मित करने के लिए लागू किया गया है। यह कानून संगठित क्षेत्र के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के भी अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है।

21वीं सदी में भारतीय महिलाएं

21वीं सदी में जहाँ नया भारत, विकसित भारत बनाने की बात चल रही है। महिलाएं रोज नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। चाहे सेना हो या खेल, घर से लेकर बाहर, हर मोर्चे पर पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। उसी भारत मे रोज महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार भी उजागर हो रहे हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में हुआ हत्याकाण्ड हो या रोडरेज का मामला। समाज में घट रही ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि अभी भी महिलाओं के प्रति सुरक्षित व सम्मानजनक व्यवहावर नहीं हो रहा है। एन0सी0आर0बी0 (NCRB) के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में पिछले वर्ष के मुकाबले 15.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जिसमें वर्ष 2021 में 428278 मामले दर्ज किए गए जबकि 2020 में 371503 मामले दर्ज हुए। एन0सी0आर0बी0 की रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर (प्रति 1 लाख जनसंख्या पर घटनाओं की संख्या) 2020 में 56.5 प्रतिशत से बढकर 2021 में 64.5 प्रतिशत हो गई है। इसमें अधिकांश मामले (31.8 प्रतिशत) सभी "पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता" की श्रेणी में आते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की उच्चतम दर असम में दर्ज की गई। इस श्रेणी में अन्य शीर्ष राज्य ओडिसा, हरियाणा, तेलंगाना और राजस्थान शामिल हैं। वहीं नागालैण्ड में महिलाओं के विरुद्ध पिछले वर्षों से (2019, 2020, 2021) अपराध की दर सबसे कम है। केन्द्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में 2021 में महिलाओ के प्रति अपराध की उच्चतम दर 147.6 प्रतिशत थी।

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे द्वारा 2019 से 2021 के मध्य किए गए सर्वे में पाया कि 45.4 प्रतिशत महिलाएं व 44.2 प्रतिशत पुरुषों का मानना है कि कुछ विशेष कारणों से पुरुष का उसकी पत्नी को पीटना जायज है। वहीं कामकाजी महिलाओं की बात करें तो इंडियन नेशनल बार एसोसिएशन द्वारा 2017 में कराए गए सर्वे में पाया कि रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में यौन उत्पीड़न बढ़ रहा है। इसमें अश्लील टिप्पणियों से लेकर यौन अनुग्रह की सीधी माँग तक सम्मिलित है। लेकिन विडंबना है कि अधिकांश महिलाएं लांछन, बदले की कार्यवाही के डर, शर्मिंदगी, रिपोर्ट दर्ज कराने सम्बन्धी नीतियों के बारे में जागरुकता का अभाव या शिकायत तंत्र पर भरोसे की कमी के कारण प्रबन्धन के समक्ष यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराती हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की विभागाध्यक्ष मनाली देसाई कहती हैं कि "यह दुष्चक्र है, लैंगिक हिंसा पितृसत्तात्मक भाव है। यह तो पौरुष का संकट है या आर्थिक असुरक्षा जैसी सफाइयों से ऐसी जटिल प्रक्रियाओं को नहीं सुलझाया जा सकता।"

निष्कर्ष

तमाम कठिनाईयों व दुष्चक्र के बावजूद भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। आज महिलाएं जमीन से लेकर आसमान तक की ऊँचाइयों पर पहुँच रही हैं। आज भारत के शीर्ष पद पर एक महिला विराजमान है। यह नए भारत का संकेत है। अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा करने के साथ-साथ शिक्षित व जागरूक महिलाएं अपने विरुद्ध हो रहे लैंगिक हिंसा का खुलकर विरोध कर रही हैं। इसका एक उदाहरण #मीटू (#MeToo) आन्दोलन है। इसकी शुरुआत 2017 में सोशल मीडिया पर अपने विरुद्ध लैंगिक हिंसा को साझा करने से हुई। इसका प्रभाव भारत में भी देखा गया। अनेकों महिलाओं ने (ज्यादातर मीडिया या सिनेमा से जुड़ी महिलाएं थी) अपने साथ हुए उत्पीड़न को सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के सामने रखने लगी। लेकिन इस आन्दोलन में संगठित क्षेत्र की महिलाए ही शामिल थीं। असंगठित क्षेत्र इससे बाहर ही था जिसमें 95 प्रतिशत महिलाएं कार्यरत हैं।

इन समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार को राज्य सरकारों, नागरिक समाज संगठनों, महिला अधिकार कार्यकर्ताओं, ट्रेड यूनियनों, निजी क्षेत्र और राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग के साथ मिलकर काम करना चाहिए तथा उत्पीड़न का निषेध करने वाले कानूनों और नीतियों के बारे में जागरुकता बढ़ानी चाहिए। साथ ही महिलाओं के प्रति हो रही किसी भी प्रकार की हिंसा को रिपोर्ट कर तुरंत कार्यवाही करना चाहिए। हिंसा और उत्पीड़न पर आई0एल0ओ0 समझौता, 2019, संख्या 190 की संतुष्टि करें और कार्यन्वित करें तथा घरेलू कार्य जैसे हिंसा और उत्पीड़न के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दें, ताकि SDG-05 में वर्णित लैंगिक समानता की प्राप्ति का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ

1. कुक, रिबेका जे0, (1994), (सं.), ह्यूमेन राईट्स ऑफ वूमेनः नेशनल एण्ड इन्टरनेशनल पर्स्पेक्टिव्स, यनिवर्सिटी ऑफ पेनसिलवेनिया प्रेस, फिलाडेल्फिया।
2. वार्षिक रिपोर्ट, (2021-22), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
3. चतुर्वेदी, अरुण एवं लोढ़ा संजय, (2005), भारत में मानवाधिकार, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, पृ0-57।

4. पलई, अरुण कुमार, (1999), भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगः गठन, कार्य और भावी परिदृश्य, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ0-182
5. श्रीवास्तव, वी0पी0, (2004), ह्यूमन राइट्स, इश्यूसेज एण्ड इम्प्लीमेंटेशन, भाग-01, इण्डियन पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, पृ0-431
6. कश्यप, सुभाष, (2011), हमारा संविधान, नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली।
7. कुमारी, रमेश, (2008), संस्कृति, साहित्य और स्त्री, अकादमी प्रतिमा, दिल्ली
8. आप्टे, प्रभा, (1996), भारतीय समाज में नारी, क्लासिक पब्लिकेशन, जयपुर
9. कटारिया, कमलेश (2003), नारी जीवनः वैदिक काल से आज तक, यूनिक ट्रेडर्स, जयपुर
10. देसाई, नीरा, (1982), भारतीय समाज में नारी, मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली
11. मानव अधिकारः नई दिशाएँ, 2013 (वार्षिक) अंक-10, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत
12. "भारत में जेंडर बजटिंगः महिला सशक्तिकरण का उपाय", (मार्च, 2016), सूचना बुलेटिंग, शोध एवं सूचना प्रभाग, लोकसभा सचिवालय
13. "हम जैसी महिलाओं के लिए #मीटू नहीं"-भारत में यौन उत्पीड़न कानून पर कमजोर अमल, ह्यूमन राइट् वॉच, अकूटूबर, 2020, URL-http://www.hrw.org
14. विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, 1997 (7), एससीसी 323, अगस्त, 1997, http://Indiankanoon.org/doc/1031794
15. "#मीटू इन इंडियाः ए लिस्ट ऑफ अलेगेशंस एज रिपोर्टेड ऑन सोशल मीडिया एण्ड फालोव्ड अप बॉय फर्स्टपोस्ट", फर्स्टपोस्ट, 25 नवम्बर, 2019, URL-http://www.firstpost.com/India/metoo-in-India-a-list-of-allegations-as-reported-on-social-media-and-followed-up-by-firstpost-5359961.html (15 दिसम्बर, 2022 को देखा गया)
16. "NCRB 2021: महिलाओं के खिलाफ अपराध में 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, दिल्ली सबसे असुरक्षित" क्विंट हिन्दी, 30 अगस्त 2022 URL-https://hindi-thequint.com/amp/story/news/india/ncrb-2021-data-15-percent-jump-in-crime-against-women-delhi-most-unsafe (03 जनवरी, 2023 को देखा गया।)
17. "भारत में नारी-हत्या, अभी तो आँकड़ें तक सही नहीं हैं" DW टी0वी0, 24 नवम्बर 2022, URL-https://www.dw.com/hi/data-story-femicides-in-india/a-63877259 (03 जनवरी 2023 को देखा गया।)